सुरेश @लिलू बनाम हरियाणा राज्य

1931

( संजय वशिष्ठ, जे.)

संजय वशिष्ठ से पहले, जे.

सुरेश @लिलू-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य-2004 का उत्तरदाता सी. आर. ए.-एस. संख्या 132-एस. बी.

23 नवंबर, 2022

(पैरा 16) ने आगे कहा कि यह भी विवाद का विषय नहीं है कि अपीलार्थी ने बार-बार प्रहार नहीं किया है और पहला प्रहार करने के बाद और खून बहते देख वह हथियार के साथ वहां से भाग गया। यदि कोई गहरी जड़ें होतीं, यहां तक कि एक खतरनाक चोट पहुँचाने का भी इरादा होता, तो वह पहले से ही सशस्त्र होता और कैंची से ही चोटों के प्रहार को दोहराता। (पैरा 17) ने आगे कहा कि एल. डी. द्वारा उद्धृत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए। न्यायमित्र, और इस न्यायालय द्वारा गहराई से देखे गए, और इस न्यायालय द्वारा देखे गए कारकों पर भी, अपील को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-I से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II में अपराध को परिवर्तित करके आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। जैसा कि अभिरक्षा प्रमाणपत्र से पहले ही देखा जा चुका है कि अपीलार्थी की कुल वास्तविक अवधि 3 वर्ष, 2 महीने और 21 दिन रही है, जिसमें 3 वर्ष, 7 महीने और 27 दिन की छूट भी शामिल है। यह न्यायालय मानता है कि अपीलार्थी को एक बार फिर अपने अवैध कार्य का एहसास होना चाहिए, जो आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा ने किया है।

2022(2)

1932

इसके परिणामस्वरूप एक मानव जीवन छीन लिया गया, और इस प्रकार, सजा को 10 साल से बदलकर 05 साल करना उचित होगा। इस प्रकार, अपीलार्थी को कठोर कारावास के रूप में 05 वर्ष की कुल सजा अवधि से गुजरने का आदेश दिया जाता है।

(पैरा 18)

अमनदीप सिंह, न्यायमित्र। अपीलार्थी (ओं) के लिए कोई नहीं। विकास भारद्वाज, एएजी, हरियाणा।

(2) कारण बताते हुए, निचली अदालत ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के बजाय आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-I के तहत अपराध करने के लिए दिनांक 3 के फैसले के माध्यम से दोषी पाया, और तदनुसार, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, 10 साल के कठोर कारावास की अवधि के साथ-साथ 2 के जुर्माने की सजा सुनाई गई-और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर तीन महीने के कठोर कारावास से गुजरना पड़ा। (3) शिकायतकर्ता रमेश पुत्र बाला पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी मस्तान वली गली, सिटी भिवानी ने शिकायतकर्ता और चश्मदीद होने के नाते 1 पर अपना बयान दर्ज करायाः 30 सरकार में 03.05.2001 पर सुबह। अस्पताल, भिवानी। इसमें कहा गया है कि "वह बी. टी. एम. में कार्यरत है और कल वह ड्यूटी में शामिल होने नहीं गया था और अपने घर पर मौजूद रहा। हमारे मोहल्ला में महेंद्र पुत्र संत लाल का एक घर है, जो लोहाड़ बाजार चोप्टा में वीरभान की कपड़े की दुकान में सेवा करता था। उसके दो घर हैं। उन्होंने सुरेश @लिलू पुत्र कृष्ण, जाति चिप्पी, निवासी धनन को किराए पर एक घर दिया है, जो विशाल दर्जी, मिनी मार्केट में सिलाई का काम करता है, और वह अपने परिवार के साथ रह रहा है, और वह घर पर भी सिलाई का काम करता है। महेंद्र अपने बच्चों और मां राम प्यारी के साथ दूसरे घर में बस गया है। महेंद्र के बच्चे घर पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी माँ के माता-पिता के घर गए हैं, और महेंद्र की माँ राम प्यारी घर पर मौजूद थीं। कल शाम लगभग 7 बजेः 00 – 7:

30 प्रधानमंत्री, सुरेश और सुरेश @लिलु बनाम हरियाणा राज्य

1933

( संजय वशिष्ठ, जे.)

उक्त कथन 1 पर दिया गया थाः 00 – 1: 30 सुबह, और 6 बजे विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुईः 30 संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा 03.05.2001 पर। (4) एफ. आई. आर. के विवरण से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता रमेश और एक नरेश पुत्र चंदर दत्त, जाति ब्राह्मण को एफ. आई. आर. में नामित चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था। इसके बाद, सरकारी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया गया। अस्पताल, भिवानी 03.05.2001 पर, और पोस्टमॉर्टम परीक्षा और मृत्यु के कारण की कार्यवाही को साबित करने के लिए, डॉ. (श्रीमती) अमृता भारद्वाज, पीडब्लू-4 के रूप में पेश हुईं और चोटों को निम्नानुसार बयान कियाः -

“1. सुपरक्लाविकलार क्षेत्र के बाईं ओर मौजूद एक छुरा घोंपा हुआ घाव मध्य में दाईं ओर नीचे की ओर जा रहा है, आकार में त्रिकोणीय, लंबाई 2.2। जांच करने पर इसकी चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर और गहराई 8.2 इंच होती है। विच्छेदन पर, मांसपेशियों और कैरोटेड धमनी और फेफड़ों में चोट होती है। बायीं तरफ की पहली पसली में चोट लगी थी। घाव से खून बह रहा था।

खोपड़ी आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1934

और खोपड़ी स्वस्थ थी। मस्तिष्क संकरा हो गया था। रीढ़ की हड्डी नहीं खुली। छाती की दीवार स्वस्थ थी, बाईं पहली पसली घायल थी और फ्रैक्चर मौजूद था। दोनों प्लूरल गुहाएँ खून से भरी हुई हैं। स्वरयंत्र और श्वासनली स्वस्थ थे। दाहिना फेफड़ा स्वस्थ था। बाएँ फेफड़े का ऊपरी भाग घायल हो गया और बीच के लोब तक। हृदय, पेरिकार्डियम स्वस्थ थे। हृदय के दोनों कक्ष खाली थे। पेट की दीवार स्वस्थ थी। पेरिटोनियम स्वस्थ था। मुँह जैसा कि वर्णित है, पेट स्वस्थ था और इसमें अपचित खाद्य पदार्थ थे। आंत स्वस्थ थी और उसमें चीम थे। बड़ी आंत स्वस्थ थी और इसमें फेशियल पदार्थ था। लीवर स्वस्थ और पीला था। प्लीहा स्वस्थ और पीली थी। गुर्दे स्वस्थ और पीले थे। मूत्राशय स्वस्थ और खाली था। पीढ़ी के अंग स्वस्थ थे। इस मामले में मृत्यु का कारण, हमारी राय में, चोट संख्या के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे के कारण था। 1 महत्वपूर्ण अंग यानी फेफड़े पर जो जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। चोटें प्रकृति में पूर्व-शव परीक्षण थीं। चोटों और मृत्यु के बीच संभवतः एक घंटे के भीतर और मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच 24 घंटे के भीतर समय बीत गया था। ”

इसी तरह एक अन्य चश्मदीद यानी नरेश पुत्र चंदर दत्त पीडब्लू-7 के रूप में पेश हुए और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि की। (6) अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 12 गवाहों यानी पीडब्लू-1 कांस्टेबल सतपाल, पीडब्लू-2 देवेंद्र (फोटोग्राफर), पीडब्लू-3 कांस्टेबल राम धारी, पीडब्लू-4 डॉ. अमृता भारद्वाज, पीडब्लू-5 पंकज शर्मा (कार मालिक), पीडब्लू-6 रमेश (शिकायतकर्ता), पीडब्लू-7 नरेश (नेत्रहीन), पीडब्लू-8 कंवर पाल (ड्राफ्ट्समैन), पीडब्लू-9 सब-इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, पीडब्लू-10 एचसी कर्तार सिंह, पीडब्लू-11 डॉ. आर. एस. सांगवान और पीडब्लू-12 इंस्पेक्टर राम मेहर से पूछताछ की। और उन दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा, जिन्हें प्रदर्शित किया गया था।

सुरेश @लिलू बनाम हरियाणा राज्य

1935

( संजय वशिष्ठ, जे.)

(10) यह आगे एल. डी. द्वारा तर्क दिया गया है। न्यायमित्र ने कहा कि किसी ठोस उद्देश्य के अभाव में, यह संभावना नहीं है कि अपीलार्थी किसी की हत्या का कारण बनेगा। इसके अलावा, किराए का भुगतान न करने के कारण झगड़ा होने का कथित मकसद हत्या का पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता है। इसलिए, यह संभावना नहीं है कि अपीलार्थी ने कथित घातक प्रहार के साथ महेंद्र की हत्या की होगी। यह तर्क इस न्यायालय की चेतना को आश्वस्त करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अपीलार्थी और महेंद्र (मृत/पीड़ित) दोनों 7 से एक साथ बैठे थेः 00 पीएम, और शराब पी रहे थे। तेज आवाज में झगड़ा/बहस लगभग 11 बजे शुरू हुईः 00 – 11: 30 पीएम। सभी संभावनाओं में उस समय तक पर्याप्त शराब का सेवन किया जा चुका था। इस प्रकार, रक्त की भीड़ में, तीखे शब्दों का आदान-प्रदान शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा में पीड़ित को चोटें आईं।

2022(2)

1936

फैसला एल. डी. न्यायमित्र प्रस्तुत करता है कि मृतक पीड़ित को कुल 11 चोटें आई थीं और उसमें अपीलार्थी को अन्य अपराधों के अलावा आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II/34 के लिए दोषी ठहराया गया था। इस पहलू पर विचार करते हुए कि कुछ टिप्पणियां करने पर कुछ विवाद हुआ

1 2019 (3) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 716 सुरेश @लिलु बनाम हरियाणा राज्य

1937

( संजय वशिष्ठ, जे.)

और समूहों ने बिना किसी पूर्व-चिंतन के हाथापाई की, आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II/34 के तहत अपराधों के लिए, आरोपी को उसकी कुल हिरासत के बाद पहले से ही लगभग 3 साल और 5 महीने की अवधि के लिए सजा सुनाई गई थी।

“27. हम अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की जा रही बातों में सार पाते हैं और सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजा सुनाते समय प्रासंगिक तथ्यों का कोई विश्लेषण नहीं किया है जैसा कि 12 जनवरी, 1998 के निर्णय (पेपर बुक का पृष्ठ 9697) से देखा जा सकता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी सजा की मात्रा के मुद्दे पर विचार नहीं किया है। रिकॉर्ड से जो तथ्यात्मक स्थिति सामने आती है, उससे पता चलता है कि वे युवा लड़के थे जिनकी कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी और वे सामूहिक रूप से बैठे थे और जगजीत सिंह की रात देख रहे थे। मृतक के सामने बैठी लड़कियों को की गई कुछ टिप्पणियों पर, कुछ विवाद हुआ और वे हाथापाई में पड़ गईं और बिना किसी पूर्व-चिंतन के, युवा लड़कों के दो समूह के बीच कथित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस अदालत को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी ने तीन साल और पांच महीने से अधिक की सजा काट ली है। समग्रता में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घटना जून 1995 की है और कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है, और मामले के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हम अपीलार्थी के निवेदन में बल पाते हैं कि सजा की मात्रा अत्यधिक है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। 28. अपराध की प्रकृति, अपराध के समय अपीलार्थी की कम उम्र, बाद के आचरण और अन्य सहायक परिस्थितियों के साथ मामले के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसके खिलाफ कोई अप्रिय घटना दर्ज नहीं की गई है और कम करने वाली परिस्थितियां शामिल हैं, यह उचित है कि तथ्यात्मक स्कोर प्राप्त करने में, कठोर कारावास की सजा को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II/34 के तहत अपराध के लिए पहले से गुजर चुकी अवधि में बदल दिया जाए। ”

लक्ष्मी चंद में और दूसरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 2.

उक्त अपील में, एक अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था

2 2018(5) आर. सी. आर. (क्रोरल) 523 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1938

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग-2 के तहत, और आठ साल की अवधि के लिए सजा, और एक डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ जुर्माना। उक्त अपीलार्थी को लगी चोट के लिए, आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी, और इस बात पर विचार करते हुए कि पल भर में घटना हुई और चोट महत्वपूर्ण भाग पर नहीं थी, अपीलार्थी संख्या 2 की सजा को घटाकर दो साल की अवधि कर दिया गया था। “9. कहा जाता है कि मृतक ने जांघ पर चोट लगने से दम तोड़ दिया जिससे रीढ़ की हड्डी की धमनी कट गई। चोट अपीलार्थी सं। 2. किसी भी सामान्य इरादे की अनुपस्थिति उसे व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाती है। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत उसकी दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह देखते हुए कि घटना पल भर में हुई थी, शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर हमला नहीं किया गया था, कि हमलावर चुनौती दिए जाने पर भाग गया था, हमले की उत्पत्ति पड़ोसियों के बीच भटक गए मवेशियों के संबंध में विवाद में थी, और यह कि घटना बहुत पहले 1980 में हुई थी, हम अपीलार्थी नं। 2 से लेकर दो साल की अवधि तक मकसूद (ऊपर) पर निर्भर रहना। ”

आगे दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में (अब

उत्तराखंड 3, जिसमें, पसलियों के पिंजरे में एक तलवार चलाने के लिए, एल. डी. निचली अदालत ने हमलावरों को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया था, जिसे उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने भी कायम रखा था। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घटना पल की गर्मी में हुई थी, और हमला पल भर में पूर्व-ध्यान के बिना किया गया था, न्यायालय ने माना कि उक्त कार्य हत्या के इरादे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि घटना की उत्पत्ति और अपीलार्थी द्वारा एकल हमला और पूरे प्रकरण की अवधि इरादे को समायोजित करने के कारक थे और उसके बाद, अपराध को आई. पी. सी. की धारा 304 से आई. पी. सी. की धारा 304 में परिवर्तित कर दिया गया था, और उक्त अपील में अपीलार्थी को पहले से ही सजा की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया था, और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया था।

“7.साक्ष्य की संपूर्णता पर विचार करने पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना पल की गर्मी में हुई थी और हमला समय पर पूर्व-ध्यान के बिना किया गया था। तथ्य यह है कि अपीलार्थी

3 2018(3) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 953 सुरेश @लिलु बनाम हरियाणा राज्य

1939

( संजय वशिष्ठ, जे.)

8. सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, हम आई. पी. सी. की धारा302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं और संतुष्ट हैं कि यह धारा 304 भाग-II आई. पी. सी. में परिवर्तित होने के योग्य है। तदनुसार आदेश दिया जाता है। उसकी दोषसिद्धि के बाद की गई अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, हम सजा को पहले से गुजर चुकी अभिरक्षा की अवधि में बदल देते हैं। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जा सकता है। 9. इसलिए अपील को आंशिक रूप से दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त संशोधन के साथ अनुमति दी जाती है। ”

(16) अब, इस न्यायालय के पास केवल एक तर्क बचा है कि धारा 304 भाग-I के तहत अपराध को धारा 304 भाग-II के तहत अपराध में परिवर्तित किया जा सकता है? एल. डी. द्वारा उद्धृत निर्णयों को देखने के बाद। न्यायमित्र, इस न्यायालय ने पाया कि यह घटना आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के बीच छोटे से झगड़े पर बहस शुरू होने के बाद, रक्त की भीड़ में, पल भर में हुई थी।

2022(2)

1940

इस प्रकार, अपीलार्थी को कठोर कारावास के रूप में 05 वर्ष की कुल सजा अवधि से गुजरने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी सजा के शेष हिस्से से गुजरने के लिए संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करे, अन्यथा अभियोजन एजेंसी अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए स्वतंत्र होगी। सजा का शेष भाग अर्थात जुर्माने का भुगतान आदि वैसा ही रहेगा जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

अपील का आंशिक संशोधन के साथ निपटारा किया जाता है।

अंकित ग्रेवाल